भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3904
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः नई कृषि नीति

3904. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कृषि क्षेत्र में नीतियों को लागू करने में होने वाले विलंब को दूर करने तथा इनका समय पर क्रियान्वयन और सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा त्रिपुरा सहित राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या नई कृषि नीति में किसानों के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों–जैसे ऋण तक पहुंच, मूल्य अस्थिरता, बीमा में देरी, प्रौद्योगिकी अपनाने और बाजार तक पहुंच–पर जोर दिया गया है; और

(ग) कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और टिकाऊ कृषि पद्धितयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा देशभर में त्रिपुरा सहित राज्य-वार क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार, किसान कल्याण योजनाओं हेतु उपयुक्त नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटन के माध्यम से त्रिपुरा सहित सभी राज्यों को सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादन में वृदधि, किसानों को लाभकारी मूल्य और आय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है।

भारत सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि करने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास हेतु निम्नलिखित एकीकृत कार्यनीति निर्धारित की है:

(i) फसल उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि
(ii) उत्पादन लागत में कमी
(iii) किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी उपज का लाभकारी मूल्य
(iv) कृषि विविधीकरण
(v) फसलोपरांत मूल्य संवर्धन को बेहतर बनाना
(vi) सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन और फसल हानि को कम करना।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ ऋण तक पहुंच, मूल्य अस्थिरता, बीमा में देरी, प्रौद्योगिकी अपनाने, मार्केट एक्सेस, जलवायु परिवर्तन, कृषि-व्यापार प्रतिस्पर्धातमकता जैसी वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. सॉइल हेल्थ एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम)
23. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तेल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

(ग) सरकार ने कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम स्थितियों और संवेदनशील जिलों/क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विभिन्न जलवायु-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, जैसे जलवायु-अनुकूल किस्मों को बढ़ावा देना, अनुकूल फसल प्रणालियाँ, संरक्षण कृषि, फसल विविधीकरण, कृषि वानिकी प्रणालियाँ, जीरो टिल ड्रिल बुवाई, चावल की खेती के वैकल्पिक तरीके, हरी खाद, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन, ऑर्गेनिक खेती, स्थल-विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन, यथास्थान (इन-सिटू) नमी संरक्षण, पूरक सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, उप-सतही जल निकासी और सॉइल अमेंडमेंट आदि। आईसीएआर द्वारा देश की पारिस्थितिकी में जलवायु परिवर्तन के प्रभावानुकूल एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल के 76 प्रोटोटाइप भी विकसित किए गए हैं।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शामिल है। एनएमएसए के अंतर्गत, प्रति बूंद अधिक फसल योजना का उद्देश्य ऑन-फार्म कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना और सटीक सिंचाई को अपनाए जाने में बढ़ोत्तरी करना है, जिसके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। सॉइल हेल्थ प्रबंधन और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ और उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करती है। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, परम्परागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जैसी योजनाओं को वर्ष 2015-16 से कार्यान्वित किया गया है। कृषि वानिकी उप-मिशन और राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य जलवायु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना भी है। इन योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों के माध्यम से लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****